

2515/18

पत्रावली CPC की धारा 89 के तहत लोक अदालत बेंच
के स्थापना रिपोर्ट की जाती है। पत्रावली दिनांक 2515/18
के स्थान पर दिनांक 31.5.18 के राजस्व लेखक
अदालत बेंच का कारावाही के
समक्ष प्रस्तुत हो, तदनुसार सभी आवश्यकताएं पूर्ण हैं।

सहायक कलेक्टर (SDO), बौहवन, संजय

31.5.18

पत्रावली काज राजस्व कैंप कोर्ट स्थल आपीठ
द्वारा 2018 के कैंप का कारावाही में पत्रा
द्वारा। चूंकि मूल वाद में निर्णय किया जा
चुका है। काज इल आविदन में आगामी
कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं रहा।
काज इल आविदन में आगामी कार्यवाही की
स्तर पर समाप्त कर स्थान कोर्ट दि
23.8.12 को खारिज किया जाता है।
पत्रावली फ सल शुभार होकर राजस्व दफ्तर
हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) बौहवन